



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गया Project Implementation Unit-Gaya

हाउस नं 70/244, जुडिशियल क्वार्टर के सामने चाणक्यापुरी कॉलनी, गया (बिहार)

H.No. 70/244, Opp. Judicial Quarter Chanakypuri Colony, Gaya - 823 001 (Bihar)

दूरभाष/Tele : 0631-2222337 ई-मेल/E-mail: gaya@nhai.org, piugayanh83@gmail.com वेबसाइट/Website : www.nhai.org



CUG NO. 8130006225

11013/NHAI/PIU-Gaya/2024/ 867

Date: 26.09.2024

To,

The Divisional Forest Officer,
Nawada, Bihar

Sub: Construction of Four Laning of Rajauli- Bakhtiyarpur Section from Km.47+723 to Km.54+405 of NH-31 (Package-I) in the State of Bihar (Online Proposal No: FP/BR/ROAD/40700/2019): **Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification - reg.**

- Ref:** (1) Gazette Notification No. G.S.R. 582(E). dated 20th September, 2024
(2) This office letter No. 11013/NHAI/PIU-Gaya/2024/794 dated 02.09.2024
(3) Query on Parivesh Portal of DFO (Nawada) on 30.07.2024
(4) This office letter No-11013/NHAI/PIU-Gaya/2024/675 dt.25.07.2024
(5) CGM-cum-RO, Patna DO No-NHAI/RO-PAT/Forest/2024/1142 dt.19.06.2024
(6) Addl. PCCF-cum- Nodal Officer (FC), GoB letter No-335 dt.31.05.2024
(7) MoM dt.29.05.2024 under the Chairmanship of Chief Secretary, Bihar
(8) This office letter No-11013/NHAI/PIU-Gaya/2024/501 dt.27.05.2024
(9) MoM dt.19.03.2024 under the Chairmanship of Chief Secretary, Bihar
(10) Govt. of India, MoEFCC, IRO Ranchi letter No- FP/BR/ROAD/40700/2019/121 dt.27.02.2024

Sir,

Please refer to the queri raised on Parivesh Portal wherein it has been requested that the equivalent non forest land details is required. It is informed that the LOA for the above mentioned project had been issued to M/s KCC Infra Pvt. Ltd on 15.03.2024. The appointed date for the above mentioned project is to be declared for construction of the project. However, stage-I forest clearance has not been obtained in Nawada District, due to which the appointed date is pending for construction of the project. The proposal for stage-I forest clearance has been applied online vide proposal No- FP/BR/ROAD/40700/2019. Some observations were raised vide letter u/r (10) for their compliance. The point-wise compliances/ clarification of each query was submitted for obtaining stage-I forest clearance vide this office letter u/r (8).

A meeting was held under the Chairmanship of Chief Secretary, Bihar on 29.05.2024, wherein, it was briefed that projects are getting hampered due to non-availability of Non Forest Land for Compensatory Afforestation & there is a cumulative demand of 335.606 Hac. CA-NFL Land for all projects in Bihar for Stage-I Clearance. Out of this, 10.368 Hac CA-NFL land in Jamui district is required for the subject project. Further, Addl. PCCF-cum- Nodal Officer (FC), Patna vide letter u/r (6) has intimated Secretary, RCD, GoB that required CA-NFL land shall be made available to the agency (NHAI), so that the Stage-I Forest Clearance may be obtained. Further, during the meeting Chaired by Chief Secretary dt.19.03.2024, DM, Jamui was requested to identify Govt. Land & provide details of same for the purpose of Compensatory Afforestation required for Stage-I Forest Clearance.

Head Office : G-5&6, Sector - 10, Dwarka, New Delhi - 110075, जी-5 एवं 6, सेक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100/25074200, फैक्स/Fax : 91-11-25093507/25093514, Website : www.nhai.org

(2)

Accordingly, this office vide letter u/r (4) has requested DM, Jamui to provide 10.3680 Hac. Non Forest Land on priority for Compensatory Afforestation in Jamui District for Stage-I Forest Clearance for this project to declare Appointed Date to start the project & intimated the same to your office vide letter u/r (2).

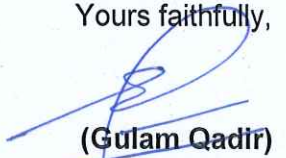
Further, Gazette Notification has been published u/r (1), wherein it has been mentioned that *"Provided also in exceptional circumstances when the suitable land required for compensatory afforestation under this sub-rule is not available, the compensatory afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted in case of the Central Government agencies or Central Public Sector Undertakings or captive coal blocks of State Public Sector Undertakings on a case to case basis"*.

In view of the above, it is requested that compensatory afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted for Stage-1 clearance.

Encl: As above

Copy to: CGM-cum-RO, Patna, for kind information please.

Yours faithfully,


(Gulam Qadir)
Project Director

26/09/24

(3/2)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गया Project Implementation Unit-Gaya

हाउस नं 70/244, जूडिशियल क्वार्टर के सामने चणक्यापुरी कॉलनी, गया (बिहार)

H.No. 70/244, Opp. Judicial Quarter Chanakyapuri Colony, Gaya - 823 001 (Bihar)

दूरभाष/Tele : 0631-2222337 ई-मेल/E-mail: gaya@nhai.org, piugayanh83@gmail.com वेबसाइट/Website : www.nhai.org



CUG NO. 8130006225

11013/NHAI/PIU-Gaya/2024/ 794

Date: 02.09.2024

To,

The Divisional Forest Officer,
Nawad, Bihar

Sub: Construction of Four Laning of Rajauli- Bakhtiyarpur Section from Km.47+723 to Km.54+405 of NH-31 (Package-I) in the State of Bihar (Online Proposal No: FP/BR/ROAD/40700/2019):- **Provision of CA-NFL land for Stage-1 Clearance-reg.**

- Ref:-** (1) Query on Parivesh Portal of DFO (Nawada) on 30.07.2024
(2) This office letter No-11013/NHAI/PIU-Gaya/2024/675 dt.25.07.2024
(3) CGM-cum-RO, Patna DO No-NHAI/RO-PAT/Forest/2024/1142 dt.19.06.2024
(4) Addl. PCCF-cum- Nodal Officer (FC), GoB letter No-335 dt.31.05.2024
(5) MoM dt.29.05.2024 under the Chairmanship of Chief Secretary, Bihar
(6) This office letter No-11013/NHAI/PIU-Gaya/2024/501 dt.27.05.2024
(7) MoM dt.19.03.2024 under the Chairmanship of Chief Secretary, Bihar
(8) Govt. of India, MoEFCC, IRO Ranchi letter No- FP/BR/ROAD/40700/2019/121 dt.27.02.2024

Sir,

Please refer to the query raised on Parivesh Portal wherein it has been requested that the equivalent non forest land details is required. It is informed that the LOA for the above mentioned project had been issued to M/s KCC Infra Pvt. Ltd on 15.03.2024. The appointed date for the above mentioned project is to be declared for construction of the project. However, stage-I forest clearance has not been obtained in Nawada District, due to which the appointed date is pending for construction of the project. The proposal for stage-I forest clearance has been applied online vide proposal No- FP/BR/ROAD/40700/2019. Some observations were raised vide letter u/r (8) for their compliance. The point-wise compliances/ clarification of each query was submitted for obtaining stage-I forest clearance vide this office letter u/r (6).

A meeting was held under the Chairmanship of Chief Secretary, Bihar on 29.05.2024, wherein, it was briefed that projects are getting hampered due to non-availability of Non Forest Land for Compensatory Afforestation & there is a cumulative demand of 335.606 Hac. CA-NFL Land for all projects in Bihar for Stage-I Clearance. Out of this, 10.368 Hac CA-NFL land in Jamui district is required for the subject project. Further, Addl. PCCF-cum- Nodal Officer (FC), Patna vide letter u/r (4) has intimated Secretary, RCD, GoB that required CA-NFL land shall be made available to the agency (NHAI), so that the Stage-I Forest Clearance may be obtained. Further, during the meeting Chaired by Chief Secretary dt.19.03.2024, DM, Jamui was requested to identify Govt. Land at one location & provide details of same for the purpose of Compensatory Afforestation required for Stage-I Forest Clearance.

Head Office : G-5&6, Sector - 10, Dwarka, New Delhi - 110075, जी-5 एवं 6, सेक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100/25074200, फैक्स/Fax : 91-11-25093507/25093514, Website : www.nhai.org

Accordingly, this office vide letter u/r (2) has requested DM, Jamui to provide 10.3680 Hac. Non Forest Land on priority for Compensatory Afforestation in Jamui District for Stage-I Forest Clearance for this project to declare Appointed Date to start the project.

This is for your information please.

Encl: As above

Yours faithfully

(Gulam Qadir) 02/09/24

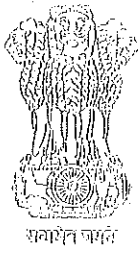
Project Director

Copy to: (Bihar State)

1. The Addl. PCCF-cum- Nodal Officer (FC), Department of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of Bihar, Patna, 800 014, for kind information please.
2. DM, Nawada, for kind information please.
3. DM, Jamui, for kind information please.
4. DFO, Jamui, for kind information please.

Copy to: (NHAI)

1. CGM (T) / GM (T), NHAI HQ, for kind information please.
2. CGM/RO, Patna, for kind information please.



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

National Highways Authority of India

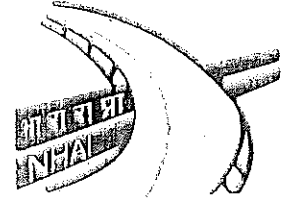
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गया Project Implementation Unit-Gaya

हाउस नं 70/244, जूडिशियल क्वार्टर के सामने चणक्यापुरी कॉलोनी, गया (बिहार)

H.No. 70/244, Opp. Judicial Quarter Chanakypuri Colony, Gaya - 823 001 (Bihar)

दूरभाष/Tele : 0631-2222337 ई-मेल/E-mail: gaya@nhai.org, piugayanh83@gmail.com वेबसाइट/Website : www.nhai.org



CUG NO. 8130006225

11043/NHAI/PIU-Gaya/2024/ 675

Date: 25.07.2024

To,

The District Magistrate
Jamui, Bihar

Sub: Construction of Four Laning of Rajauli- Bakhtiyarpur Section from Km.47+723 to Km.54+405 of NH-31 (Package-I) in the State of Bihar (Online Proposal No: FP/BR/ROAD/40700/2019):- Provision of CA-NFL land for Stage-1 Clearance-reg.

Ref:- (1) CGM-cum-RO, Patna DO No-NHAI/RO-PAT/Forest/2024/1142 dt.19.06.2024
(2) Addl. PCCF-cum- Nodal Officer (FC), GoB letter No-335 dt.31.05.2024
(3) MoM dt.29.05.2024 under the Chairmanship of Chief Secretary, Bihar
(4) This office letter No-11013/NHAI/PIU-Gaya/2024/501 dt.27.05.2024
(5) MoM dt.19.03.2024 under the Chairmanship of Chief Secretary, Bihar
(6) Govt. of India, MoEFCC, IRO Ranchi letter No- FP/BR/ROAD/40700/2019/121 dt.27.02.2024

Sir,

In reference to the subject matter, it is informed that the LOA for the above mentioned project had been issued to M/s KCC Infra Pvt. Ltd on 15.03.2024. The appointed date for the above mentioned project is to be declared for construction of the project. However, stage-I forest clearance has not been obtained in Nawada District, due to which the appointed date is pending for construction of the project. The proposal for stage-I forest clearance has been applied online vide proposal No- FP/BR/ROAD/40700/2019. Some observations were raised vide letter u/r (6) for their compliance. The point-wise compliances/ clarification of each query was submitted for obtaining stage-I forest clearance vide this office letter u/r (4).

A meeting was held under the Chairmanship of Chief Secretary, Bihar on 29.05.2024, wherein, it was briefed that projects are getting hampered due to non-availability of Non Forest Land for Compensatory Afforestation & there is a cumulative demand of 335.606 Hac. CA-NFL Land for all projects in Bihar for Stage-I Clearance. Out of this 10.368 Hac CA-NFL land in Jamui district is required for the subject project. Further, Addl. PCCF-cum- Nodal Officer (FC), Patna vide letter u/r (2) has intimated Secretary, RCD, GoB that required CA-NFL land shall be made available to the agency (NHAI), so that the Stage-I Forest Clearance may be obtained. Further, during the meeting Chaired by Chief Secretary dt.19.03.2024, DM, Jamui was requested to identify Govt. Land at one location & provide details of same for the purpose of Compensatory Afforestation required for Stage-I Forest Clearance.

0/c

25/07/24

In view of the above, it is requested to provide 10.3680 Hac. Non Forest Land on priority for Compensatory Afforestation in Jamui District for Stage-I Forest Clearance to declare Appointed Date of the project.

Encl: As above

Yours faithfully

(Gulam Qadir)

Project Director

25/01/24

Copy to: (Bihar State)

Copy to: (NHAI)

1. The Addl. PCCF-cum- Nodal Officer (FC), Department of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of Bihar, Patna, 800 014, for kind information please.
 2. DM, Nawada, for kind information please.
 3. DFO, Nawada, for kind information please.
 4. DFO, Jamui, for kind information please.
1. CGM (T) / GM (T), NHAI HQ, for kind information please.
 2. CGM/RO, Patna, for kind information please.



वाई. बी. सिंह
क्षेत्रीय अधिकारी
Y. B. SINGH
Regional Officer



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
(MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS)

DO NO. NHAI/RO-PAT/Forest/2024/1142

Date: 19.06.2024

Respected Sir,

This has reference to 08 pending forest proposals of projects being implemented by NHAI in the state of Bihar. These are very important highways projects of Govt of India. It is brought to your kind attention that majority of above proposal are either at Nodal Officer or DFOs level.

2. As you are aware that commencement of construction as well award of several projects are delayed due to above pending Forest Clearances. As such, I request your kind personal intervention and to direct the concerned officers for expeditious disposal of the proposals which will facilitate faster implementation of these vital projects, which will boost overall economic development of the State.

With Regards

Encl: as above

Yours sincerely,

(Y. B. Singh)
Regional Officer

To,

Sh. N. Jawahar Babu,
Principal Chief Conservator of Forest (HOFF),
Aranya Bhawan, Patna, Bihar.

REGIONAL OFFICE :

Shivmitra Apartment, 1st Floor, Vivekanand Marg, Boring Road, Patna- 800 013 (Bihar)

Tel : 0612-2570898, 2570895 | E-mail : ropatna@nhai.org | Web.: www.nhai.gov.in

FC Cases pending for Stage-I clearances

Sl No.	Project Name	File No./ Proposal No.	Forest area affected (Ha.)	Proposal Submission Date	Pendency level (DFO/ CF/ Nodal/ State/ IFO/ NHA)	Present Status
1	Construction of 4/6-lane access controlled Greenfield Expressway from Varanasi to Kolkata (Package-I)	FP/BR/ROAD/404312/2 022	1.5065	07.11.2022	Nodal	- As directed by Chief Secretary, Govt of Bihar on 03.06.2024, Options for three alternate alignment have been submitted to the Nodal Officer on 05.06.2024. - Further, during meeting with ACS, Revenue & land reforms, Secretary of Forest, Secretary of RCD and other stake holders, the Chief Secretary, GoB, directed ACS, Revenue & land reforms for providing non-forest land from districts Jamui & Banka, which is under process. - It is requested to kindly expedite proposal for Stage-I clearance.
2	Construction of 4/6-lane access controlled Greenfield Expressway from Varanasi to Kolkata (Package-II)	FP/BR/ROAD/401205/2 022	36.00	30.09.2022	Nodal	
3	Construction of 4/6-lane access controlled Greenfield Expressway from Varanasi to Kolkata (Package-III)	FP/BR/ROAD/404838 /2022	103.211	04.11.2022	Nodal	
4	4 Lining of Sasaram - Arrah - Patna road section of NH-119A from Km 0+000 to Km 40+450 (Package-I)	FP/BR/ROAD/157376/2 022	4.22	25.06.2022	CF Patna	- The proposal was uploaded on 25.06.2022 i.e before Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules 2023 which is effective from 28.06.2022. - Currently the proposal is pending with CF (Wildlife), Patna since 07.02.2024.
5	4 Lining of Sasaram - Arrah - Patna road section of NH-119A from Km 40+450 to Km 84+300 (Package-II)	FP/BR/ROAD/157384/2 022	22.716	25.06.2022	CF Patna	- The proposal was uploaded on 25.06.2022 i.e before Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules 2023 which is effective from 28.06.2022. - Currently the proposal is pending with CF (Wildlife), Patna since 23.03.2023.
6	4 Lining of Sasaram - Arrah - Patna road section of NH-119A from Km 00+000 to Km 34+800 (Ring Road) (Package-III)	FP/BR/ROAD/157408/2 022	1.964	24.06.2022	CF, Patna & DFO-Patna	- The proposal is under jurisdiction of 2 DFOs, i.e DFO- Bhojpur & DFO- Patna. - DFO-Bhojpur forwarded proposal to CF (Wildlife), Patna on dated 23.03.2023 which is pending with CF (Wildlife). - DFO Patna raised EDS which has been compiled on 12.02.2024 and presently pending with DFO-Patna.
7	Siwan-Masrakh NH 227A from Km 0+000 to Km 45.906	FP/BR/ROAD/148309/2 021	8.322	20.10.2021	Nodal Officer & CF-Siwan	- The proposal was uploaded on 20.10.2021 i.e before Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules 2023 which is effective from 28.06.2022. - The proposal is under jurisdiction of 2 DFOs, i.e DFO- Saran & DFO- Gopalganj. - DFO-Saran has recommended the proposal to Nodal Officer, Patna which is pending with Nodal. - DFO- Gopalganj has recommended the proposal to CF- Siwan. Presently the proposal is pending with CF-Siwan.
8	Construction of four lining of Rajauli- Bakhtiyarpur section from Km 47+723 to Km S4+405 of NH-31 (Package-I) in the State of Bihar	FP/BR/ROAD/40700/20 19	10.368	17.06.2019	DFO, Nawada	- The proposal was uploaded on 17.06.2019 i.e before Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules 2023 which is effective from 28.06.2022. - Query raised by Regional Office (Ranchi) on 27.02.2024. - Compliance has been submitted vide NHA letter No. 501 dated 27.05.2024. The proposal is still pending with DFO- Nawada.

Handwritten signature/initials



बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014
संख्या-वन (संरक्षण)/88/2019

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा0व0से0
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक-/05/2024

विषय - वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत NH एवं NHAI द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023, को 1 दिसम्बर 2023 से लागू किया गया है।

उक्त के आलोक में गैर वानिकी कार्य हेतु अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। NH एवं NHAI द्वारा प्रस्तावित अपयोजित होने वाली वन भूमि से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है जिसमें क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कुल 549.154028 हे0 गैर वन भूमि संबंधित प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

संलग्न सूची में अंकित प्रस्तावों के बदले वैसी गैर वन भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराया जाना है जो वन विभाग, भू-दान, भू-हदबंदी, शमशान, कब्रिस्तान की भूमि नहीं है एवं अतिक्रमण मुक्त है तथा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रतिवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि को Toposheet नक्शा पर चिन्हित करते हुए उपलब्ध कराया जाय। साथ ही जिन मामलों में अबतक Stage-I की स्वीकृति भारत सरकार से अप्राप्त है उन मामलों में भी क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले गैर वन भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि प्रस्ताव पर भारत सरकार से प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त किया जा सके।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- वन (संरक्षण)/88/2019 335 दिनांक- 31/05/2024
प्रतिलिपि- क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पटना/मुख्य
अभियन्ता-सह-क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, बिहार, पटना/ मुख्य
अभियन्ता, (उत्तर/दक्षिण/सीमांचल), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियन्ता
(उत्तर/दक्षिण), राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार को समतुल्य सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत NH एवं NHAI द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों विवरणी।

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	अपयोजित होने वाली वन भूमि का रकबा (हे० में०)	जिला का नाम	अभ्युक्ति
1	भारतमाला परियोजना के तहत कैमूर जिलान्तर्गत वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे (भाया रौंची खड़गपुर) पथ निर्माण	NHAI वाराणसी	1.5065	भभुआ	
2	भारतमाला परियोजना के तहत गया एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे पथ निर्माण	NHAI औरंगाबाद	36.0000	रोहतास	
3	भारतमाला परियोजना के तहत गया एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे पथ निर्माण	NHAI गया	103.2110	गया औरंगाबाद	
4	भारतमाला परियोजना के तहत गया एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे पथ निर्माण	NHAI गया			
5	भारतमाला परियोजना के तहत रोहतास जिलान्तर्गत NH-119A आरा-सासाराम-पटना (0.00-40.45 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का प्रस्ताव	NHAI पटना	4.15	रोहतास	
6	भारतमाला परियोजना के तहत रोहतास जिलान्तर्गत NH-119A आरा-सासाराम-पटना (40.45-84.30 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का प्रस्ताव	NHAI पटना	22.716	भोजपुर	
7	भारतमाला परियोजना के तहत रोहतास जिलान्तर्गत NH-119A आरा-सासाराम-पटना (0.00-34.80 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का प्रस्ताव	NHAI पटना	1.964	पटना भोजपुर	
8	जमुई जिलान्तर्गत NH-333C श्रवण-चकाई पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु	कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, लखीसराय गुठ-मुंगेर।	19.8700	जमुई	

9	सिवान जिलान्तर्गत NH-227A के महारौना घाट (यूपी. के पास) 0.00-40.342 कि०मी० गुठनी पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	MoRTH पटना	24.13	सिवान	
10	शेखपुरा, लखीसराय, जमुई एवं बाँका जिलान्तर्गत NH-333A बरबीघा-शेखपुरा-सिकन्दरा-जमुई-झाझा-बाँका-पंजवारा झारखंड बोर्डर तक (0.00-198.45 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का प्रस्ताव	NH लखीसराय मु०- मुंगेर	162.01	शेखपुरा, लखीसराय, जमुई एवं बाँका	
11	भागलपुर एवं बाँका जिलान्तर्गत NH-133E भागलपुर-खड़हरा गाँव (ढाका मोड़) [4.00-32.60 कि०मी०, पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु	कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर	71.76	भागलपुर एवं बाँका	
12	दरभंगा एवं मधुबनी जिलान्तर्गत NH-527B दरभंगा (दिल्ली मोड़)-बनवारी पट्टी (0.00-14.950 कि.मी. पैकेज-I) एवं बनवारी पट्टी-जयनगर (14.950-53.133 कि.मी. पैकेज-II) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु	कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, जयनगर	21.0102	दरभंगा एवं मधुबनी	
13	नालंदा जिलान्तर्गत NH-110 के कि०मी० 29 के अन्तर्गत ROB निर्माण कार्य रेलवे कि० मी० 32.307 रामभवन-इस्लामपुर इन ल्यू ऑफ LC No. 29 B निर्माण	कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ	0.3935	नालंदा	
14	नालंदा जिलान्तर्गत NH-33 के कि०मी० 89, 73, 57, 59, एवं 56 पर पुल-पुलिया एवं नयी पुल पुलिया के निर्माण हेतु	कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ	0.208128	नालंदा	
15	भारतभाला परियोजना के तहत सीवान एवं सारण जिलान्तर्गत सीवान-मशरक (0.00-45.906 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का प्रस्ताव	NHAI मोतिहारी	8.322	सीवान एवं सारण	

16	भारतमाला परियोजना के तहत मधुबनी जिलान्तर्गत NH-527 A रहिका-रामपट्टी (बाईपास) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु	NHAI सुपौल	0.1586	मधुबनी	
17	भारतमाला परियोजना के तहत वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं सारण जिलान्तर्गत वाकरपुर-मानिकपुर (0.00-38.814 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	NHAI मोतिहारी	4.1080	वैशाली मुजफ्फरपुर एवं सारण	
18	भारतमाला परियोजना के तहत सहरसा एवं सुपौल जिलान्तर्गत परसरमा-वरियाही (0.00-24.068 कि०मी०) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु	NHAI सुपौल	18.1585	सहरसा एवं सुपौल	
19	भारतमाला परियोजना के तहत मधुबनी जिलान्तर्गत उमागाँव-कलुआही (0.00-21.610 कि०मी० NH-227L) पथ, साहरघाट-रहिका (0.00-26.135 कि०मी० NH-227J) पथ एवं विदेश्वर स्थान-भेजा (0.00-25.915 कि०मी० NH-227A) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	NHAI सुपौल	39.1096	मधुबनी	
20	चार लेन रजौली-बख्तियारपुर खण्ड कि०मी० 47.723 से कि०मी० 54.405 (पैकेज-1)	NHAI पटना-2	10.3680	नवादा	
कुल			549.154028		

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-29.05.2024 को NHAI / NH(RCD) द्वारा संचालित पथ परियोजनाओं के Forest clearances से संबंधित वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के तहत गैर वन भूमि के रूप में समतुल्य भूमि उपलब्ध कराने के आलोक में हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

बैठक के प्रारम्भ में सभी उपस्थित पदाधिकारियों का मुख्य सचिव द्वारा स्वागत किया गया।

मुख्य सचिव, द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पटना द्वारा संचालित परियोजनाओं में Forest clearances हेतु अपयोजित होने वाली वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि प्राथमिकता के आधार पर लगभग 214 हे० वन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निदेशित किया गया, जिसकी विवरणी निम्नांकित है:-

क्र०सं०	प्रयोक्ता एजेंसी	परियोजना का नाम	अपयोजित होने वाली वन भूमि (हे०)
1	भा०रा०रा०प्रा०	वाराणसी-कोलकता भाया रांची स्पर खड़गपुर पथ के 4/6 लेन का निर्माण कार्य (NH-319B पैकेज-1)।	1.5065
2	भा०रा०रा०प्रा०	वाराणसी-कोलकता भाया रांची स्पर खड़गपुर पथ के 4/6 लेन का निर्माण कार्य (NH-319B पैकेज-2)।	36.00
3	भा०रा०रा०प्रा०	वाराणसी-कोलकता भाया रांची स्पर खड़गपुर पथ के 4/6 लेन का निर्माण कार्य (NH-319B पैकेज-3)।	103.211
4	भा०रा०रा०प्रा०	4/6-लेन आरा-सासाराम-पटना पथ खण्ड (एन०एच०-119ए कि०मी० 0+000 से कि०मी० 40.450) तक का निर्माण कार्य।	4.22
5	भा०रा०रा०प्रा०	4/6-लेन आरा-सासाराम-पटना पथ खण्ड (एन०एच०-119ए कि०मी० 40+450 से कि०मी० 84.300) तक का निर्माण कार्य।	22.716
6	भा०रा०रा०प्रा०	4/6-लेन आरा-सासाराम-पटना पथ खण्ड (एन०एच०-119ए कि०मी० 00+000 से कि०मी० 34.600) तक का निर्माण कार्य।	1.964
7	राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग	एन०एच०-333सी के कि०मी० 0 से 15.972 खरवन-बकाई तक के पथांश का 2-लेन विध पेश साइडर का उन्नयन कार्य।	19.87
8	पी०आई०यू०, शिवहर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	एन०एच०-227ए मेहरोना घाट से सिवान (रामजानकी मार्ग)	24.13
कुल			213.6175 हे०

साथ ही राष्ट्रीय उच्च पथ की वैसी परियोजनाएँ जो वन विभाग के विभिन्न स्तर पर लक्षित हैं वैसी परियोजनाओं का भी अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि लगभग 336 हे० वन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निदेशित किया गया, जिसकी विवरणी निम्नांकित है:-

क्र०सं०	प्रयोक्ता एजेन्सी	परियोजना का नाम	अपयोजित होने वाली वन भूमि (हे०)
1	राष्ट्रीय उच्च पथ	एन०एच०-333ए बरबीघा-शेखपुरा-कामुई- झाड़ा - बांका-पंजवारा- बिहार-झारखण्ड सीमा के 2/4-लेन पेम्ड सोल्डर कम्प्रीमेशन के उन्नयन कार्य	182.01
2	राष्ट्रीय उच्च पथ	एन०एच०-133इ के कि०मी० 0 से कि०मी० 36.600 भागलपुर - खैरा गाँव (ढाका मोड़) तक के पथांश का 4-लेन विथ पेम्ड सोल्डर का निर्माण कार्य।	71.76
3	राष्ट्रीय उच्च पथ	एन०एच०-105 के कि०मी० 0 से कि०मी० 53.133 दरभंगा- (दिल्ली मोड़) से बनवारी पट्टी तक के पथांश का 4-लेन विथ पेम्ड सोल्डर का निर्माण कार्य।	21.0102
4	राष्ट्रीय उच्च पथ	एन०एच०-110 के कि०मी० 29 के अन्तर्गत आर०ओ०बी० निर्माण कार्य रेलवे कि०मी० 32.307 रामगवन - इस्लामपुर इन ल्यू ऑफ एल०सी० न०-29बी	0.3935
5	राष्ट्रीय उच्च पथ	एन०एच०-110 के अन्तर्गत दो नये आर०सी०सी० माईनर ब्रीज और तीन नये बॉक्स क्लबर्ट का निर्माण कार्य।	0.208128
6	भा०रा०रा०प्रा०	एन०एच०-227ए के कि०मी० 0+000 (सिवान) से कि०मी० 45.906 (मशरख)	8.322
7	भा०रा०रा०प्रा०	मधुबनी जिला अन्तर्गत एन०एच०-527ए रहिका-रागपट्टी (बाईपास) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	0.1686
8	भा०रा०रा०प्रा०	वैशाली, भुजपकरपुर एवं सारन जिला अन्तर्गत बाकरपुर-मानिकपुर (NH-139W 0.00 से 36.614) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।	4.1080
9	भा०रा०रा०प्रा०	एन०एच०-327ई के परसरमा से बरियाही खंड-2 का 2-लेन निर्माण कार्य, उन्नयन एवं पुनर्स्थापन कार्य	18.1585
10	भा०रा०रा०प्रा०	उदमौव - कलुआही साहरघाट - रहिका-विदेशवस्थान - भेजा (NH-227L/227J/527A)	39.1096
11	भा०रा०रा०प्रा०	4-लेन रजौली-बख्तिवारपुर खण्ड कि०मी० 47.723 से कि०मी० 54.405 (पैकेंज-1)	10.3680
कुल			335.606 हे०

सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना द्वारा सूचित किया गया कि वैसी परियोजनाएँ जिसकी Stage-I की स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिसम्बर-23 के बाद Stage-I प्राप्त होता है तो वैसी परियोजनाओं में वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि की आवश्यकता होगी।

मुख्य सचिव द्वारा सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सचिव पथ निर्माण विभाग, की संयुक्त अध्यक्षता में प्रत्येक माह समीक्षात्मक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया, ताकि Forest clearances के लंबित मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन किया जा सके।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(ब्रजेश मेहता)
मुख्य सचिव,
बिहार, पटना

मुख्य अभियंता का कार्यालय
राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापक-एन0एच0-24/विधि-01-28/2018 - 1562

दिनांक- 21-6-2024

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पटना/क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(उभाकान्त रजक)

मुख्य अभियंता,

राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक-एन0एच0-24/विधि-01-28/2018 - 1562

दिनांक- 21-6-2024

प्रतिलिपि: सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

मुख्य अभियंता,

राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक-एन0एच0-24/विधि-01-28/2018 - 1562

दिनांक- 21-6-2024

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

मुख्य अभियंता,

राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक-एन0एच0-24/विधि-01-28/2018 - 1562

दिनांक- 21-6-2024

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता,

राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

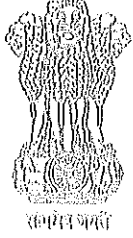
ज्ञापक-एन0एच0-24/विधि-01-28/2018 - 1562

दिनांक- 21-6-2024

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता,

राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गया Project Implementation Unit-Gaya

हाउस नं 70/244, जूडिशियल क्वार्टर के सामने चणक्यापुरी कॉलनी, गया (बिहार)

H.No. 70/244, Opp. Judicial Quarter Chanakyapuri Colony, Gaya - 823 001 (Bihar)

दूरभाष/Tele 0631-2222337 ई-मेल/E-mail: gaya@nhai.org, piugayanh83@gmail.com वेबसाइट/Website : www.nhai.org

11013/NHA/PIU-Gaya/2024/501

CUG NO. 8130006225

Date: 27.05.2024

To,

The Divisional Forest Officer

Nawada Forest Division,

Nawada, Bihar

Sub: Construction of Four Laning of Rajauli- Bakhtiyarpur Section from Km.47+723 to Km.54+405 of NH-31 (Package-I) in the State of Bihar (Online Proposal No: FP/BR/ROAD/40700/2019):- Compliance of EDS-reg.

Ref:- Govt. of India, MoEFCC, IRO Ranchi letter No- FP/BR/ROAD/40700/2019/121 dt.27.02.2024

Sir,

Please refer to the letter cited above, vide which observations has been raised for their compliance. In this regard, point-wise compliances/ clarification of each query are being submitted for your perusal & further needful action for obtaining stage-I forest clearance:-

Sl. No.	Observations of MoEFCC IRO Ranchi	Compliance/ Clarification of User Agency
i.	As per new Van (Sankashan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sankashan Evam Samvardhan) Rules, 2023, CA area needs to be proposed over equivalent non-forest land (NFL) and accordingly revised CA scheme & all related documents like .kml file of CA, land suitability certificate, map, etc. need to be uploaded on PARIVESH portal.	Van (Sankashan Evam Samvardhan) Rules, 2023 notified by the Central Government on 29.11.2023 are effective from 1st December, 2023 (MoEFCC, New Delhi Circular No. FC-11/61/2021-FC, dated 3rd November, 2023 may be referred). Further, Govt. of India, MoEFCC, New Delhi vide File No. FC-11/118/2021-FC, dated 18th July, 2022 has clarified under Para ii that "Provisions of Forest (Conservation) Rules, 2003 shall apply to the proposals submitted online through Parivesh Portal." The Nodal Officer (FC), Govt. of Bihar had accepted the proposal on 28.06.2019 & recommended the proposal on 23.03.2021 i.e. before 28.06.2022 (MoEFCC notification dt.29.06.2024 for applicability of FC Rules, 2003). Therefore, no need of NFL is required in this case.
ii.	As per DFO, Nawada's letter no.574 dated 20.02.2024, it has been submitted that the legal status of the proposed forest land for diversion is Reserved Forest (RF) but as per Part-II of the proposal at Sl. No.2, legal status of the proposed forest land is mentioned as Protected Forest (PF). This needs to be	May be corrected on portal from your office as the portal is not allowing corrections from our end.

	rectified as RF on PARIVESH portal.	
iii.	The field officials have recommended for construction of flyover in entire stretch of wildlife sanctuary whereas UA has denounced the recommendation citing the exorbitant cost involved. Therefore, a clear opinion of the state government is required whether the proposal is recommended in consonance with the observation of field officers or without it as solicited by the user agency.	Animal passage plan has already been submitted as per the recommendation of Chief Conservator of Forest, Patna, Bihar vide letter No-539 dt.09.08.2023, wherein, it has been mentioned that "Animal Passage Plan will be prepared for the wildlife in the inner areas of the path." Accordingly, underpasses have been provided (wherever required) for passage of animals. So, flyover in whole stretch is not required. The SBWL & NBWL have already recommended the proposal with the structures, and User Agency has paid an amount of Rs. 90.17 Lakh in the State CAMPA on account of Wildlife Mitigation cost as per NBWL condition.
iv.	NPV calculation needs to be submitted as per orders dated 06.01.2022 & 19.01.2022.	The amount of NPV as estimated by DFO shall be deposited by NHAI after approval of Stage-I.

This is for your information & necessary action please.

Encl: As above

Yours faithfully

(Gulam Qadir)

Project Director

27/05/24

Copy to: (1) The Addl. PCCF-cum- Nodal Officer (FC), Department of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of Bihar, Patna- 800 014, for kind information please.
(2) CGM/RO, Patna, for kind information please.



भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office

पता: द्वितीय तल, शांखोड हाथ आवासीय मोड़ मुख्यालय, हरमू चौक, रंछी, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarters/Jharkhand State Housing Board, Harimu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ranchi.mef@gov.in



संख्या: FP/BR/ROAD/40700/2019/121

दिनांक: 27.02.2024

सेवा में,

प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, सिंचाई भवन, सचिवालय,
पटना - 800015,

विषय: नवादा जिलान्तर्गत NH-31 रजौली-बख्तियारपुर (47.723-54.405 कि०मी०) पधांश के चीड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 10.3680 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयक श्रीमान के पत्र संख्या व.सं.-46/2019-120 दिनांक 21.02.2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव से सम्बंधित इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 02.06.2021 के जवाब के जाचोपरांत यह पाया गया की प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन/दस्तावेजों में अभी भी कतिपय खामियां विद्यमान हैं, अतः सक्षम स्तर से प्रस्ताव को प्रसंस्कृत कर निम्नलिखित दस्तावेजों/जानकारी को अपलोड कराने की कृपा करें;

- As per new Van (Sankashan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 and Van (Sankashan Evam Samvardhan) Rules, 2023, CA area needs to be proposed over equivalent non-forest land (NFL) and accordingly revised CA scheme & all related documents like kml file of CA, land suitability certificate, map, etc. need to be uploaded on PARIVESH portal.
- As per DFO, Nawada's letter no.574 dated 20.02.2024, it has been submitted that the legal status of the proposed forest land for diversion is Reserved Forest (RF) but as per part-II of the proposal at sl. no.2, legal status of the proposed forest land is mentioned as Protected Forest (PF). This needs to be rectified as RF on PARIVESH portal.
- The field officials have recommended for construction of flyover in entire stretch of wildlife sanctuary whereas UA has denounced the recommendation citing the exorbitant cost involved. Therefore, a clear opinion of the state government is required whether the proposal is recommended in consonance with the observation of field officers or without it as solicited by the user agency.
- NPV calculation needs to be submitted as per orders dated 06.01.2022 & 19.01.2022.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज/जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कारवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित कर अनुगृहित किया जाये।

विश्वासभाजन

Signed by Shashi Shankar
Palhak

Date: 29-02-2024 12:51:04

सहायक वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह – नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, अरण्य भवन, शहीद भीम अली खोर्सा, पटना-800014.

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-19.03.2024 को NHAI एवं MoRTH (RCD) द्वारा संचालित पथ परियोजनाओं के Forest Clearances से संबंधित वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के तहत गैर वन भूमि के रूप में समतुल्य भूमि उपलब्ध कराने के आलोक में हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

बैठक के प्रारंभ में सभी उपस्थित पदाधिकारियों का मुख्य सचिव द्वारा स्वागत किया गया।

माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार को संबोधित अर्द्ध-सरकारी पत्र के माध्यम से NHAI द्वारा कार्यान्वित परियोजना के संबंधित वन भूमि के संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा समीक्षा बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में वन भूमि के बदले गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के आलोक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिला प्रसाधिकारी, जमुई एवं बांका को उनके जिलान्तर्गत उपलब्ध सरकारी भूमि संबंधी विवरणी समर्पित करने का निदेश दिया गया, ताकि भविष्य में पथ निर्माण विभाग की योजनाओं में वन भूमि के बदले गैर वन भूमि एक ही स्थान पर चिह्नित कर उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही अगामी बैठक में उक्त प्रक्रिया पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु निदेशित किया गया। तत्पश्चात् NHAI द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के संबंध में निम्नांकित निदेश दिये गये:-

- 1) कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी में टनल का प्रस्ताव (Proposed Tunnel in Kaimur Wild Life Sanctuary for Preliminary Geo Technical Survey / Investigation at six points):-

प्रयोक्ता एजेंसी - परियोजना निदेशक, NHAI, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, औरंगाबाद।

क्षेत्रीय पदाधिकारी (NHAI) द्वारा बताया गया कि प्रस्ताव पर राज्य वन्य प्राणी पार्षद द्वारा सहमति प्रदान की गई है। मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार के स्तर से अनुमति पत्र जारी किया जाना है। नोडल पदाधिकारी (कैम्पा) द्वारा बताया गया है कि टनल के निर्माण से पर्यावरण एवं Eco-system प्रभावित होगा तथा प्रस्ताव के साथ Alternate alignment समर्पित नहीं की गई है।

मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तावित Alignment के Alternate alignment पर विचार करने एवं प्रस्तावित Alignment पर Geo Technical Survey / Investigation Report शीघ्र तैयार कर वन विभाग से समन्वय कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश क्षेत्रीय पदाधिकारी, NHAI को दिया गया।

- 2) भारतमाला परियोजना के तहत गया एवं औरंगाबाद जिला अन्तर्गत वासणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे पथ निर्माण :-

प्रयोक्ता एजेंसी - परियोजना निदेशक, NHAI, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी (NHAI) द्वारा बताया गया कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्ताव वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से नोडल पदाधिकारी (कैम्पा) को उपलब्ध कराया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि 103.211 हे० के समतुल्य क्षतिपूर्वक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि 103.21 हे० उपलब्ध कराया जाना है। नोडल पदाधिकारी (कैम्पा) द्वारा बताया गया कि उक्त परियोजना के निर्माण से गया जिला में 70 हजार वृक्षों का घातन किया जाना होगा। जिसके फलस्वरूप वहाँ का Flora & Fauna/ Habitats प्रभावित हो सकती है।

मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तावित Alternate Alignment पर विचार करते हुए प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश क्षेत्रीय पदाधिकारी (NHAI) को दिया गया।

- 3) बांकरपुर - मानिकपुर 0.00 से 38.814 कि०मी० पथांश का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का प्रस्ताव :-

प्रयोक्ता एजेंसी - परियोजना निदेशक, NHAI, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मोतिहारी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी (NHAI) द्वारा बताया गया कि प्रस्ताव नोडल पदाधिकारी (कैम्पा) द्वारा राज्य सरकार को भेज दी गई है।

मुख्य सचिव द्वारा शीघ्रता से प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु लगातार अनुश्रवण करने का निदेश सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को दिया गया।

Handwritten signature

- 4) 4/6-लेन आरा-सासाराम-पटना पथ खण्ड एन0एच0-119ए कि0मी0 0+000 से कि0मी0 40.450 तक का निर्माण कार्य। भारतमाला परियोजना (लॉट-7, पैकेज-2) बिहार राज्य अन्तर्गत (पैकेज-1) :-
प्रयोक्ता एजेंसी - परियोजना निदेशक, NHAI परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना।

क्षेत्रीय पदाधिकारी (NHAI) द्वारा बताया गया कि प्रस्ताव वन संरक्षक वन्य प्राणी अंचल, पटना को उपलब्ध करा दिया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि 4.15 हे0 के समतुल्य क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि 4.15 हे0 उपलब्ध कराया जाना है।

मुख्य सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई एवं बांका को उनके जिलान्तर्गत उपलब्ध सरकारी भूमि संबंधी विवरणी संपर्कित करने का निदेश दिया गया।

- 5) 4/6-लेन आरा-सासाराम-पटना पथ खण्ड एन0एच0-119ए कि0मी0 40+450 से कि0मी0 84.300 तक का निर्माण कार्य। भारतमाला परियोजना (लॉट-7, पैकेज-2) बिहार राज्य अन्तर्गत (पैकेज-2):-
प्रयोक्ता एजेंसी - परियोजना निदेशक, NHAI परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना,

क्षेत्रीय पदाधिकारी (NHAI) द्वारा बताया गया कि संशोधित प्रस्ताव एवं वृक्ष सुरक्षा योजना (2.08 हे0 वन भूमि अपयोजन से संबंधित) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, भोजपुर को संपर्कित किया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि 2.08 हे0 के समतुल्य क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि 2.08 हे0 उपलब्ध कराया जाना है।

मुख्य सचिव द्वारा शीघ्रता से प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु लगातार अनुश्रवण करने का निदेश सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को तथा जिला पदाधिकारी, जमुई एवं बांका को उनके जिलान्तर्गत उपलब्ध सरकारी भूमि संबंधी विवरणी संपर्कित करने का निदेश दिया गया।

- 6) 4/6-लेन आरा-सासाराम-पटना पथ खण्ड एन0एच0-119ए कि0मी0 00+000 से कि0मी0 34.800 तक का निर्माण कार्य। भारतमाला परियोजना (रिय रोड) लॉट-7, पैकेज-2) बिहार राज्य अन्तर्गत (पैकेज-3)
प्रयोक्ता एजेंसी - परियोजना निदेशक, NHAI परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना,

क्षेत्रीय पदाधिकारी (NHAI) द्वारा बताया गया कि प्रस्ताव वन संरक्षक पटना अंचल, पटना के माध्यम से दिनांक-23.03.2023 को नोडल पदाधिकारी (कैम्पा) को उपलब्ध करा दिया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि 1.964 हे0 के समतुल्य क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि 1.964 हे0 उपलब्ध कराया जाना है।

मुख्य सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई एवं बांका को उनके जिलान्तर्गत उपलब्ध सरकारी भूमि संबंधी विवरणी संपर्कित करने का निदेश दिया गया।

- 7) मधुबनी जिलान्तर्गत एन0एच0-527ए सहिका - रामपट्टी (बाईपास) पथ

प्रयोक्ता एजेंसी - परियोजना निदेशक, NHAI परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुपौल।

क्षेत्रीय पदाधिकारी (NHAI) द्वारा बताया गया कि प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय, राँची भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि 0.1586 हे0 के समतुल्य क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि 0.1586 हे0 उपलब्ध कराया जाना है।

000 5

मुख्य सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई एवं बांका को उनके जिलान्तर्गत उपलब्ध सरकारी भूमि संबंधी ची शी समर्पित करने का निदेश दिया गया।

4) सहस्त्रा एवं सुपौल जिलान्तर्गत परसरमा-बरियाही (0.00-24.068 कि०मी०) पथ चौकीकरण एवं सुदृढीकरण प्रयोक्ता एजेंसी - परियोजना निदेशक, NHAI परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुपौल।

क्षेत्रीय पदाधिकारी (NHAI) द्वारा बताया गया कि प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय, रौंघी भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि 18.1585 हे० के गन्तुत्य क्षतिपूर्त बनीकरण हेतु गैर वन भूमि 18.1585 हे० उपलब्ध कराया जाना है।

मुख्य सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई एवं बांका को उनके जिलान्तर्गत उपलब्ध सरकारी भूमि संबंधी धिक्करी समर्पित करने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

[Signature]
16/5/24
(प्रताप मेहरावा)

मुख्य सचिव,

मुख्य अभियंता का कार्यालय विहार सरकार।
राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक-एन०एच०-25/विनि-01-12/2022 - 1260

दिनांक-16.5.2024.

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पटना/क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
16/05/24

(समाकान्त रजक)

मुख्य अभियंता,

राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक-एन०एच०-25/विनि-01-12/2022 1260

दिनांक-16.5.2024

प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, जमुई/बांका को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
16/05/24

मुख्य अभियंता,

राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक-एन०एच०-25/विनि-01-12/2022 - 1260

दिनांक-16.5.2024

प्रतिलिपि: सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, समर्पित।

[Signature]
16/05/24

मुख्य अभियंता,

राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क०प०उ०

आपॉक-एमएचओ-25/मिनिम-01-12/2022 - 1260

दिनांक-16.5.2024

प्रतिनिधि: और मुख्य सचिव के आदेश अतिरिक्त, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजित।

~~16/05/24~~

मुख्य अभियंता,

राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आपॉक-एमएचओ-25/मिनिम-01-12/2022 - 1260

दिनांक-16.5.2024

प्रतिनिधि: मुख्य सचिव के विरुद्ध कार्य प्रत्याख्यान, पटना को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजित।

~~16/05/24~~

मुख्य अभियंता,

राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, सिंचाई भवन, सचिवालय,
पटना - 800015.

विषय: नवादा जिलान्तर्गत NH-31 रजौली-बख्तियारपुर (47.723-54.405 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 10.3680 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयक श्रीमान के पत्र संख्या व.सं.-46/2019-120 दिनांक 21.02.2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव से सम्बंधित इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 02.06.2021 के जवाब के जाचोपरांत यह पाया गया की प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन/दस्तावेजों में अभी भी कतिपय खामियां विद्यमान हैं, अतः सक्षम स्तर से प्रस्ताव को प्रसंस्कृत कर निम्नलिखित दस्तावेजों/जानकारी को अपलोड कराने की कृपा करे;

- As per new Van (Sankashan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sankashan Evam Samvardhan) Rules, 2023, CA area needs to be proposed over equivalent non-forest land (NFL) and accordingly revised CA scheme & all related documents like .kml file of CA, land suitability certificate, map, etc. need to be uploaded on PARIVESH portal.
 - As per DFO, Nawada's letter no.574 dated 20.02.2024, it has been submitted that the legal status of the proposed forest land for diversion is Reserved Forest (RF) but as per part-II of the proposal at sl. no.2, legal status of the proposed forest land is mentioned as Protected Forest (PF). This needs to be rectified as RF on PARIVESH portal.
 - The field officials have recommended for construction of flyover in entire stretch of wildlife sanctuary whereas UA has denounced the recommendation citing the exorbitant cost involved. Therefore, a clear opinion of the state government is required whether the proposal is recommended in consonance with the observation of field officers or without it as solicited by the user agency.
- NPV calculation needs to be submitted as per orders dated 06.01.2022 & 19.01.2022.

तः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज/जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कारवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए पत्र कर अनुगृहित किया जाये।

विश्वासभाजन

Signed by Shashi Shankar
Pathak

Date: 29-02-2024 12:51:04

सहायक वन महानिरीक्षक

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092024-257289
CG-DL-E-20092024-257289

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024/भाद्र 29, 1946

No. 540]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2024/BHADRA 29, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 582(अ).— वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 13 में, उपनियम (1) के तीसरे, चौथे और पांचवें परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह भी कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, जब इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अवक्रमित वन भूमि पर विचार किया जा सकता है, जिसका विस्तार, मामला दर मामला आधार पर, केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों या केन्द्रीय सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के मामले में, प्रस्तावित क्षेत्र के दुगुने क्षेत्र के बराबर हो।

3. उक्त नियमों की अनुसूची-II में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 2 के सामने कोष्ठक और शब्दों के अधीन "(केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रस्तावों पर ही यह विधान अनुज्ञात है)" प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 3 के सामने कोष्ठक और शब्दों के अधीन "(यह वितरण मामला-दर-मामला आधार पर कैप्टिव कोयला ब्लॉक्स के लिए राज्य के सार्वजनिक के उपक्रम और मामला-दर-मामला आधार पर केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के मामले में है)" प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एफसी-11/111/2024-एफसी]

रमेश कुमार पांडेय, वन महानिरीक्षक

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 869(अ), तारीख 29 नवंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2024

G.S.R. 582(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, namely: —

1. Short title, extent and commencement.— (1) These rules may be called the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1), for the third, fourth, and fifth proviso, the following proviso, shall be substituted, namely: —

"Provided also in exceptional circumstances when the suitable land required for compensatory afforestation under this sub-rule is not available, the compensatory afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted in case of the Central Government agencies or Central Public Sector Undertakings or captive coal blocks of State Public Sector Undertakings on a case to case basis".

3. In Schedule-II to the said rules, in the table, —

- (i) The entries against serial number 2, under the brackets and words "*(This dispensation is allowed to certain proposals of Central Government and State Government or Union territory Administration only.)*" shall be omitted;
- (ii) The entries against serial number 3, under the brackets and words "*(This dispensation is in case of State Public Sector Undertakings for captive coal blocks on case to case basis and Central Government Agencies/Central Public Sector Undertakings on case to case basis involving no acquisition of non-forest land)*" shall be omitted.

[F. No. FC- 11/111/2024-FC]

RAMESH KUMAR PANDEY, Inspector General of Forests

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 869(E), dated the 29th November, 2023.